(70)

Annexure-I

प्रारूप सं0 30

FORM – I

(For linear Projects)

Government of **Uttarakhand**

Office of the District Collector **Tehri Garhwal**

No. 653/XXVI- ALC II 2019-2020 Dated 29-8-2020

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of India letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having intiated and completed the process of settelement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEFs letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **3.425 hact.** of forest land proposed to be deverted in favour of **Public Works Department, Kirtiangar** for **Construction of Raragarh to Tola Motor Road** in **Tehri Garhwal** District falls within jurisdiction of ______________________ Villages in **Kirtinagar** tehsils.

It is further certified that:

a) the complete process for indetification and settlement of right under it FRA has been carried out for the entire **3.425 Hac.** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committees, Gram Sabha, Sub Division Level Committees and the District Level Committee are enclosed as annexure **30** to annexure 30.2

b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabha have given their consent to it.

c) the proposal does not invole recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

Encl: As above

Signature

(Distt. Colector)

जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006.

A meeting of the District Level Committee Tehri Garhwal District. Constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Shri Mangesh Ghildiyal I.A.S. District Collector Tehri Garhwal at New Tehri in which the applicant claiming rights in **Kirtinagar** Block area measuring **3.425 Hectare** for the construction of **Construction of Raragarh to Tola Motor Road** in Tehsil **Kirtinagar** of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee of **Kirtinagar** Sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made and hence District Level Committee recommended the above case for diversion for land for the said purpose.

Place :- Tehri

District Collector Cum chairman
जिलाधिकारी
District Tehri Garhwal
टिहरी गढ़वाल
New Tehri

It is further certified that – Minutes of meeting of Construction of Raragarh to Tola Motor Motor Road (6.00 KM) regarding FRA is as following.

Sr. No.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **3.425 Hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s), Gram (s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure to annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram have given their consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers.

Sangeeta Jayara
श्रीमती संगीता जयाड़ा
सदस्य जिला पंचायत
35 थाती डागर (टिहरी गढ़वाल)
जिला पंचायत सदस्य
टिहरी गढ़वाल

जिला समाज कल्याण अधिकारी
जिला समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल
टिहरी गढ़वाल

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि की रेती (टि0 ग0)

Signature
( )
Distt. Collector
जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

प्रपत्र– 30.2

परियोजना का नाम :– मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 71/2017 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल में विधान सभा देवप्रयाग के अन्तर्गत राड़ागाड़ से टोला तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 6.00 कि0मी0)।

कार्यालय उप जिलाधिकारी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति,

उपखण्ड कीर्तिनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत कीर्तिनगर के अन्तर्गत **राड़ागाड़ से टोला तक मोटर मार्ग (3.073 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.352 हे0 सिविल सोयम भूमि, शून्य वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 3.425 हे0 वन भूमि** का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कीर्तिनगर) की दिनांक .... को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री 03-01-2020, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं।

1–	रजा अलवास	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2–		उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3–	श्रीमती मनीषा तिवाड़ी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव
4–	प्रियंका नेगी	बी0डी0सी0 क्षेत्र	सदस्य

उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल।

सदस्य क्षेत्र पंचायत गवाणा वि0ख0–कीर्तिनगर, जिला–टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **राड़ागाड़ से टोला तक मोटर मार्ग** परियोजना हेतु **3.425 हे0** वन भूमि **लोक निर्माण विभाग** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, देवप्रयाग उप वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पश्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड **कीर्तिनगर** परिक्षेत्र के **राड़ागाड़ से टोला तक मोटर मार्ग** परियोजना के निर्माण **हेतु 3.425 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग** प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी
कीर्तिनगर
टिहरी गढ़वाल

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–..
जनपद ....

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, ... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
उप जिलाधिकारी
कीर्तिनगर
टिहरी गढ़वाल
तहसील–..............................

जनपद...................

परियोजना का नाम :– मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 71/2017 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल में विधान सभा देवप्रयाग के अन्तर्गत राड़ागाड़ से टोला तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 6.00 कि0मी0)।

दिनांक 03-01-2020 उपखण्ड स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति जनपद–

1.	श्री रजा अब्बास	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	[signature] उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल।
2.	श्री डी.पी. बलोनी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	[signature] उप प्रभागीय वनाधिकारी (देवप्रयाग) नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
3.	श्रीमती मनीषा तिवाड़ी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव	[signature] सहायक समाज कल्याण अधिकारी वि0ख0– कीर्तिनगर टि0ग0
4.	श्रीमती प्रियंका नेगी	बी0डी0सी0 क्षेत्र	सदस्य	[signature] सदस्य क्षेत्र पंचायत सदस्य वि0ख0– कीर्तिनगर, जिला–टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

प्रपत्र-- 23

परियोजना का नाम :-- मा० मुख्यमंत्री घोषणा सं० 71/2017 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल में विधान सभा देवप्रयाग के अन्तर्गत राड़ागाड़ से टोला तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 6.00 कि०मी०)।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम -- राडागाड

तहसील जिला टिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत राड़ागाड़ से टोला तक मोटर मार्ग की परियोजना के निर्माण हेतु (3.073) हे० आरक्षित वन भूमि,(0.352) हे० सिविल सोयम भूमि, शून्य वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 3.425 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत राडागाड द्वारा दिनांक 28-12-2019 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक मे प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रवाड .... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

(मुकेश कुमार)
ग्राम प्रधान प्रशासक

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत राडागाड
वि० ख० कीर्तिनगर
जनपद टिहरी गढ़वाल

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
श्रीनगर-मु० कीर्तिनगर टि० ग०

प्रपत्र--23.1

दिनांक 28-12-2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम – राडागाड

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	मंगलसिंह S/o जगवानसिंह	Mangal Singh
2	कर्ण सिंह S/o चतर सिंह	कर्ण सिंह
3	मुकेश सिंह S/o गोविन्द सिंह	मुकेश सिंह
4	सॉणी देवी W/o धनसिंह	सौणी देवी
5	बीर सिंह S/o इन्द्रसिंह	बीर सिंह
6	सुरेशसिंह S/o गुलाबसिंह	सुरेश सिंह
7	जबरसिंह S/o रामसिंह	जबर सिंह
8	प्रमोद सिंह S/o जोत सिंह	Pramod
9	कमलसिंह S/o मालवरसिंह	कमलसिंह
10	कुशालसिंह S/o चन्द्रसिंह	कुशालसिंह
11	राजी देवी W/o लक्ष्मणसिंह	राजी देवी
12	पुष्पादेवी W/o सुरेशसिंह	पुष्पा देवी
13	उर्मिलादेवी W/o राजेन्द्रसिंह	उर्मिला देवी
14	विमला देवी W/o विजेन्द्रसिंह	विमला देवी
		मीना देवी
15	मीना देवी W/o विरेन्द्र सिंह	रुक्मणी देवी
16	रुकमणी देवी W/o मंगलसिंह	सरोजनी देवी
17	सरोजनी देवी W/o रणबीर सिंह	कान्ता देवी
18	कान्तादेवी W/o जोत सिंह	दलबीर सिंह
19	दलबीर सिंह S/o राम सिंह	
20	विजय सिंह S/o रूपचन्द्रसिंह	विजय सिंह

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत राडागाड
वि० ख० कीर्तिनगर
जनपद टिहरी गढ़वाल

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
श्रीनगर-पु० कीर्तिनगर टि० ग०

ह०/– (मुकेश कुमार) प्रशासक
ग्राम प्रधान

प्रपत्र-- 23

परियोजना का नाम :-- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 71/2017 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल में विधान सभा देवप्रयाग के अन्तर्गत राड़ागाड़ से टोला तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 6.00 कि0मी0)।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण--पत्र

ग्राम पंचायत का नाम -- राड़ागाड़

तहसील जिला टिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत राड़ागाड़ से टोला तक मोटर मार्ग की परियोजना के निर्माण हेतु (3.073 हे0 आरक्षित वन भूमि(0.352) हे0 सिविल सोयम भूमि, शून्य वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 3.425 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत राड़ागाड़ द्वारा दिनांक 28-12-2019 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम टोला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत राड़ागाड़
वि० ख० कीर्तिनगर
जनपद टिहरी गढ़वाल

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
श्रीनगर-मु० कीर्तिनगर टि० ग०

(सुनेन्द्र कुमार) प्रशासक
ग्राम प्रधान

79

दिनांक 28-12-2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम – राडागाड

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	डा० विरेन्द्र सिंह S/o बचनसिंह	वीरेंद्र सिंह [illegible]
2	धर्म सिंह S/o जीतसिंह	धर्मसिंह
3	सुरबीर सिंह S/o मोहनसिंह	सुरबीरसिंह
4	उमेद सिंह S/o मोहनसिंह	उमेद सिंह
5	रूपा देवी W/o मुकेश सिंह	रूपा देवी
6	मोर सिंह S/o रूते सिंह	मोर सिंह
7	सुशीला देवी W/o भाग सिंह	सुशीला देवी
8	मनीषा देवी W/o नरेन्द्र सिंह	मनीषा
9	सोना देवी W/o सुरबीर सिंह	सोना देवी
10	सौणी देवी W/o उमेदसिंह	सौणी देवी
11	बुद्धी देवी W/o अवतार सिंह	बुद्धी देवी
12	आलमसिंह S/o हीरा सिंह	[illegible]
13	रैंजा देवी W/o सुरबीरसिंह	रैंजा देवी
14	जोत सिंह S/o गोकल सिंह	जोत सिंह
15	बचनसिंह S/o तुलसी सिंह	बचन सिंह
16	सरोजनी देवी D/o प्रेमसिंह	सरोजनी देवी
17	संगीता देवी W/o मकानसिंह	संगीता देवी
18	विजय पाल सिंह S/o मातबरसिंह	विजयपाल सिंह
19	सुरबीरसिंह S/o शेरसिंह	सुरबीर सिंह
20	केशर सिंह S/o गैंपालसिंह	केशर सिंह
21	मकानी देवी W/o त्रिलोक सिंह	मकानी देवी

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत राडागाड
वि० ख० कीर्तिनगर
जनपद टिहरी गढ़वाल

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
श्रीनगर-मु० कीर्तिनगर टि० ग०

(मोहन कुमार)
ह0 / - प्रशासक
ग्राम प्रधान